कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक **XI-30/2013** /रा०,
दिनांक मई, 2016

फोन कार्यालय : 06114–223013
फोन आवास : 06114–223005 (फैक्स)
ई–मेल : *jehanabadsdo@gmail.com*

वित्तिय वर्ष 2016–17 के लिए

सैरात बंदोवस्ती की आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व शाखा, अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद के पत्रांक 98/रा०, दिनांक 09.03.2016 के आलोक में आयोजित सैरात बंदोवस्ती के पश्चात् समाहर्त्ता महोयदय के निदेशानुसार अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद के पत्रांक 984/रा०, दिनांक 12.05.216 के आलोक में शेष निम्नांकित 06 (छः) सैरातों की वित्तिय वर्ष 2016–17 के लिए खुली डाक द्वारा बंदोवस्ती दिनांक 31.05.2016 को पूर्वाहन 11:00 बजे अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यालय प्रकोष्ठ में नीचे दिये गये शर्तो के अध्यधीन की जायेगी। यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बंदोवस्ती नहीं हो पाती है तो दिनांक 02.06.2016 को उपर वर्णित समय एवं स्थान पर यह बंदोवस्ती की जायेगी।

सैरातों का पूर्ण विविरण इस प्रकार है :–

क्र०	राजस्व हाटों का नाम	संबंधित अंचल	सुरक्षित जमा की राशि	जमानत की राशि
1.	विशुनगंज सब्जी हाट	मखदुमपुर	Rs. 10,925/-	Rs. 1,093/-
2.	टेहटा PWD रोड सब्जी हाट	मखदुमपुर	Rs. 4,56,263/-	Rs. 45,627/-
3.	दक्षिणी छठ मेला	काको	Rs. 7,015/-	Rs. 702/-
4.	सरैया हाट बाजार	रतनीफरीदपुर	Rs. 19,205/-	Rs. 1,921/-
5.	जयतीपुर कुरूआ सब्जी हाट	मोदनगंज	Rs. 40,480/-	Rs. 40,480/-
6.	दशहरा कार्तिक मेला	जहानाबाद	Rs. 57,730/-	Rs. 5,773/-

बंदोबस्ती की शर्ते :–

1. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को अद्यतन आचरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को उस अंचल के अंचल अधिकारी से पूर्व के किसी सैरात की राशि बकाया नहीं होने के आशय का बकाया रहित प्रमाण–पत्र देना होगा।
3. पूर्व के वर्षो में जिस व्यक्ति के नाम से सैरात बंदोबस्ती हुई और यदि उनके पास कोई भी राशि बकाया रह गयी हो तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
4. डाक में भाग लेने हेतु वक्ता को सैरात की निर्धारित सुरक्षित जमा की राशि का 10% (प्रतिशत) अग्रधन (जमानत की राशि) के रूप में जमा करना होगा।
5. बंदोबस्ती में सफल डाक वक्ता को उच्चतम डाक की सम्पूर्ण राशि एकमुश्त अनुमंडल नजारत में तत्क्षण जमा करनी होगी।
6. उच्चतम डाक की बोली बोलकर पूरी राशि नहीं जमा करने वाले व्यक्ति की जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
7. हाट/बाजार/मेला में टॉल की वसूली सरकारी नियमों के अनुरूप ही करनी होगी, जो प्रशासन के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
8. उच्चतम डाक वक्ता द्वारा सैरात बंदोबस्ती से संबंधित एकरारनामा का निबंधन अपने व्यय पर कराना होगा, इसके उपरांत की परवान निर्गत किया जायेगा।
9. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बंदोबस्ती को स्थगित करने/बंदोबस्ती की तिथि बढाने/बंदोबस्ती की शर्तो में रूपलेखन करने/बंदोबस्ती का रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
जहानाबाद।